न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—150 / 2019 / 225 (2019 / 00150)

1. मोहनसिंह पुत्र बजरंग सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. शम्भूसिंह पुत्र बजरंग सिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1 / 1— श्रीमती शांति बाई पत्नि शम्भूसिंह,
   1 / 2— लक्ष्मण पुत्र शम्भूसिंह,
   1 / 3— कानसिंह पुत्र शम्भूसिंह,
   1 / 4— नन्दा कंवर पुत्री शम्भूसिंह,
   1 / 5— मीना पुत्री शम्भूसिंह,
2. भंवर कंवर पुत्री बजरंग सिंह पत्नि देवीसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2 / 1— अमरसिंह पुत्र भंवर कंवर,
   2 / 2— रामसिंह पुत्र भंवर कंवर,
   2 / 3— प्रेम सिंह पुत्र भंवर कंवर,
   2 / 4— रतन कंवर पुत्री भंवर कंवर,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी 24, माताजी मंदिर के पास शोला की झोपड़िया, तहसील हिन्डौली, जिला बूंदी ।
3. बृज कंवर पुत्री बजरंग सिंह पत्नि सम्मनसिंह, जाति राजपूत, निवासी मदारपुरा रोड़ चूंगी चौकी जैन मंदिर के पास, नाका मदार, अजमेर ।
4. लाड कंवर पुत्री बजरंग सिंह, पत्नि प्रहलाद सिंह, जाति राजपूत, निवासी 23, शिव कॉलोनी तेजा जी का चौक, ब्रजलाल नगर, तह0 मालपुरा,जिला टोंक ।

असल—रेस्पोडेंटस

5. अजय सोमानी पुत्री सुखराजमल सोमानी, निवासी एल0आई0सी0 कॉलोनी, अजमेर ।
6. यशपाल आनन्द पुत्र बिहारीलाल आनन्द, जाति क्षत्रिय, निवासी सी0आर0 पी0 एफ0, जी.सी.—1, अजमेर । (नाम तर्क)
7. राजस्थान महिला कल्याण मण्डल आनन्दपुरा तोपदड़ा स्वेच्छिक जन सेवा संस्थान जरिये मौजूदा अधिशाष साथिक सागरमल कौशिक, जाति ब्राहमण निवासी आनन्दपुरा, तोपदड़ा, अजमेर । (नाम तर्क)
8. श्रीमती लक्ष्मी पाण्डे पत्नि पुष्कर नारायण शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी 74 / 75 जीवन विहार कॉलोनी, आनासागर सरक्यूलर रोड़, अजमेर ।
9. उप पंजीयक, अजमेर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

प्रफोर्मा—रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर दिनांक 14.6.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 82 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह चौहान, वकील अपीलांट ।
2. श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 4 अनुपस्थित।
3. श्री शिशिर विजयवर्गीय, वकील रेस्पो0 संख्या 5.
4. रेस्पो0 संख्या 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 14.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेंटस एवं अपीलांट की पुश्तैनी सहखातेदारी काश्तकारी की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात ग्राम चाचियासावास तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है । असल रेस्पोडेंटस एवं अपीलांट एक ही परिवार के सदस्य होकर बजरंग सिंह पुत्र चन्दरसिंह के विधिक वारिसान है जिनका पारिवारिक सजरा वादपत्र में अंकित किया है । वादग्रस्त आराजियात असल रेस्पोडेंटस एवं अपीलांट के पिता बजरंगसिंह पुत्र चन्दरसिंह की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात थी जिस पर बजरंगसिंह पुत्र चन्दरसिंह के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान असल रेस्पोडेटस एवं अपीलांट संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है । बजरंगसिंह पुत्र चन्दरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 7.9.1984 को हो चुका था जिसके पश्चात् अपीलांट द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विरासती नामांतकरण संख्या 115 दिनांक 17.12.1985 को अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर अपीलांट द्वारा पृथक—पृथक विक्रय पत्रों के आधार पर वादग्रस्त भूमि में से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 5 को पृथक—पृथक दिनांक को बेचान कर दी गई जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम नामांतकरण संख्या 222 दिनांक 8.9.1994, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम नामांतकरण संख्या 141 दिनांक 12.4.1999, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम नामांतकरण संख्या 151 दिनांक 27.4.2000 तथा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम नामांतकरण संख्या 243 दिनांक 23.12.2003को तस्दीक किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के नाम वर्किंग जमाबंदी में अमल दरामद किये जो चुके है जबकि अपीलांट द्वारा किये गये उपरोक्त बेचान असल रेस्पो0 के हक व अधिकारों पर प्रारंभ से शून्य होकर बेअसर है । वादग्रस्त भूमियां असल रेस्पो0 एवं अपीलांट की पुश्तैनी भूमियां है जिसमें असल रेस्पो0 का भी बराबर हक व अधिकार निहित है लेकिन विरासती नामांतकरण तस्दीक करते समय बजरंगसिंह पुत्र चन्दरसिंह के समस्त विधिक वारिसानों की जानकारी लिए बिना ही केवल अपीलांट के नाम नामांतकरण दर्ज कर दिया गया जिससे असल रेस्पो0 का नाम राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नहीं हो पाया । जबकि प्रत्येक असल रेस्पो0 का भी वादग्रस्त आराजियात में अपीलांट के साथ 1/5, 1/5 हिस्सा निहित होकर खातेदार घोषित किया जाना वांछित है । विवादित आराजियात अपीलांट एवं असल रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित आराजियात है जिसका आज दिनांक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस न्यायिक

विभाजन नहीं हुआ है एवं अपीलांट उसके नाम दर्ज अवैध नामांतकरण के आधार पर दर्ज खातेदारी की आड़ में खेत जोतने, बोने, निराई गुढ़ाई करने तथा फसल काटने व लाटने में झगड़ा करते है जिससे अब संयुक्त काश्त करना संभव नहीं है । उक्त गलत इंद्राज के आधार पर अपीलांट/अप्रार्थी रेस्पो0/प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है तथा भूमि को अन्यंत्र बेचान, हस्तातंरण करने पर आमादा है । अतः अप्रार्थीगण को वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 14.6.2017 को पारित कर प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय क निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात में किसी भी प्रकार का कोई संबधं व सरोकार नहीं है तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद एवं उसके साथ प्रस्तुत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का प्रार्थना पत्र गलत कथनों पर आधारित होने से निरस्त किए जाने योग्य था परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये कौर्ट कैम्प में फौरी तौर से आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र की पत्रावली अपीलांट/अप्रार्थी के जवाब हेतु नियत थी । अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी/अपीलांट का जवाब बंद किये बिना पत्रावली को बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये कैम्प कोर्ट में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किये है जिससे अपीलांट के हक व अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है । अधी0न्याया0 के समक्ष कैम्प कौर्ट में प्रतिवादी/अपीलांट एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र में एकतरफा में आदेश पारित किये है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट वर्तमान में विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार होकर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है जबकि वादीगण/रेस्पो0 ग्राम चाचियावास के निवासी नहीं होकर बूंदी जिले के निवासी है जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर रेस्पो0/वादी का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है एवं आज भी नहीं है। अधी0न्याया0 द्वारा सह खातेदार काश्तकार के हक अधिकारों के विपरीत जाकर खातेदार काश्तकार को ही अपने आदेश से पाबंद किये जाने जैसा कठोर आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी रूप से प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा में प्रार्थी के विरूद्ध कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन आदेश पारित किया किया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में कभी भी नहीं रही । उक्त जानकारी दिनांक 7.3.2019 को तब हुई जब प्रार्थी द्वारा विवादित आराजियात पर खाद, बीज का ऋण लेने हेतु पटवारी से संपर्क किया तब पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजियात पर स्थगन होने की बात कही तब प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तथा उसे उक्त आदेश दिनांक 14.6.2017 की जानकारी हुई जिस पर अविलम्ब कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर

मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 ने दिनांक 8.7.1998 को विवादित आराजियात खसरा नंबर 881 (1829) रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि मोहनसिंह पुत्र बजरंग सिंह से क्रय की है जिस पर कब्जा काश्त रेस्पो0 संख्या 5 का चला आ रहा है । उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 संख्या 5 के नाम नामांतकरण संख्या 141 दिनांक 12.4.1999 को तस्दीक किया जा चुका है । रेस्पो0 संख्या 5 खसरा नंबर 881 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । अतः अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है। अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजियात प्रार्थीगण/रेस्पो0 व अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी सहखातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । खातेदार बजरंगसिंह पुत्र चन्दरसिंह के फौत होने पर उनके विधिक वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बजरंगसिंह का स्वर्गवास दिनांक 7.9.1984 को होने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर विरासती नामांतकरण संख्या 115 दिनांक 17.12.1985 को अकेले अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमियां वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है तथा उपरोक्त विरासत नामांतकरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पृथक–पृथक विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमियों में से कुछ भूमियां अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को पृथक–पृथक दिनांक को बेचान कर दी गई है जिनके आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 के नाम नामांतकरण स्वीकृत कर जमाबदियों में अमल दरामद कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किये गये उपरोक्त बेचान प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर प्रारंभ से ही शून्य होकर बातिल एवं बेअसर है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मलू वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 14.6.2017 द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है ।

8. अपील पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2041 ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर के खाता संख्या नया 108 पुराना 116 के खसरा नंबरान 609, 611,734, 881, 888, 890, 916, 918, 920 मिन, 921, 922, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 957, 958, 959, 961, 962, 966, 967 कुल किता 24 कुल रकबा 62–04–10 बीघा भूमियां बजरंग सिंह पुत्र चन्दरसिंह कौम राजूपत सा0देह दर्ज है । इसी जमाबंदी में दर्ज

नामांतकरण नोट के अनुसार नामांतकरण संख्या 115 दिनांक 17.12.1985 के अनुसार बजरंग सिंह के फौत होने से उसके वारिस मोहनसिंह पुत्र बजरंग सिंह के नाम अंकन स्वीकार हुआ । उपरोक्त जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 एवं अपीलांट के पिता बजरंगसिंह पुत्र चन्दरसिंह की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात होकर पक्षकारान की पैतृक आराजियात थी किन्तु खातेदार बजरंग के स्वर्गवास उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 115 दिनांक 17.12.1985 तस्दीक करते समय मृतक खातेदारान की विरासत केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट के नाम तस्दीक की गई है । विवादित आराजियात पैतृक होने से मृतक खातेदारान के समस्त विधिक वारिसान का विवादित आराजियात में समान हक व अधिकार व कब्जा माना जावेगा । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 8 में खातेदार के निर्वसयती देहांत होने पर उसकी सम्पति का उत्तराधिकारियों की श्रेणी अंकित की गई है जिसके अनुसार अपीलांट भी मृतक खातेदार का पुत्र होकर प्रथम श्रेणी का वारिस है । जो पैतृक सम्पति में जन्म से अपना हक व अधिकार रखता है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मूल वाद अधी0न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । पक्षकारान के हक, अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य निर्धारित होगें किन्तु तब तक यदि वादग्रस्त आराजियात ओर आगे बेचान, हस्तातंरण हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी तथा पक्षकारान के मध्य और अधिक वादबाहुल्यता नहीं बढ़े, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण को वादग्रस्त आरायिजात के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.7.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर